



कार्यालय मुख्य आयुक्त
Office of the Chief Commissioner
सीजीएसटी एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (जयपुर परिक्षेत्र), जयपुर
CGST & Central Excise (Jaipur Zone), Jaipur

फा. सं.: GCCO/II/3/POST/34/2020-ADMN

स्थापना आदेश सं. : 25/2025

दिनांक: 05.06.2025

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा फा.सं. CBIC-10A32/5/2023-Ad.-II बी के अंतर्गत जारी कार्यालय आदेश सं. 01/2025 दिनांक 23.05.2025 के अनुसरण में सहायक निदेशक (राजभाषा) की श्रेणी में निम्नानुसार पदस्थापना आदेश तत्काल प्रभाव से एवं अग्रिम आदेशों तक जारी किये जाते हैं:-

क्रम. सं.	अधिकारी का नाम	कहाँ से	कहाँ को
1.	श्री बाबूलाल मीना सहायक निदेशक (राजभाषा)	कार्यग्रहण पर	सीजीएसटी एवं के.उ.शु. आयुक्तालय, जयपुर

2. सहायक निदेशक (राजभाषा) की सेवाओं का उपयोग जयपुर ज़ोन के सभी आयुक्तालय एवं सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, जयपुर अपनी आवश्यकतानुसार कर सकते हैं।

यह आदेश मुख्य आयुक्त, सीजीएसटी एवं के.उ.शु., जयपुर ज़ोन की संस्वीकृति से जारी किये जा रहे हैं।

(निष्ठा शर्मा)
संयुक्त आयुक्त

प्रति सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. प्रधान आयुक्त/ आयुक्त, सीजीएसटी एवं के. उ. शु., जयपुर/ अलवर/ जोधपुर/ उदयपुर/ अंकेक्षण, जयपुर/ अंकेक्षण, जोधपुर/ अपीलस, जयपुर/ अपीलस, जोधपुर/ सीमा शुल्क (नि.), जयपुर।
2. अवर सचिव (प्रशा.-II बी), केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली।
3. श्री बाबू लाल मीना, सहायक निदेशक (राजभाषा)।
4. वेतन एवं लेखाधिकारी, सीजीएसटी एवं सीमा शुल्क, जयपुर।
5. नोटिस बोर्ड/ गार्ड फ़ाइल।
6. वेबमास्टर - जोनल वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।